


तारीख
हुक्म

07.04.2025

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई।
बकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय हाजा व
पदस्थापित पटवारी ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाइन
मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी
की पालना तहसीलदार खण्डेला द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या
1070 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर
इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किये जाने की स्वीकृति दी
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



श्रीमाधोपुर (सीकर)